संख्या-148/2016/3293/26-3-2016-3(10)/78

प्रेषक,

सुनील कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक- 27 जुलाई 2016

विष्य: तुरैहा जाति का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2033/26-3-2015-3(10)/78, दिनांक-09.07.2015 का क़पया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें तुरैहा जाति का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये थे। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बिना समुचित छानबीन किये तुरैहा जाति का प्रमाण पत्र बनाने में राजस्व अधिकारियों द्वारा हीलाहवाली की जा रही है, सर्वथा अनुचित है। क्यों कि किसी व्यक्ति की जाति उसके नाम से समक्ष अंकित जाति सूचक शब्द के आधार पर निर्धारित नहीं होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय राजस्व अधिकारियों को उस व्यक्ति के नाम के समक्ष लिखे जा रहे जाति सूचक शब्द अथवा उसके जीवकोपार्जन हेतु अपनाये जाने वाले व्यवसाय इत्यादि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु ही आधार नहीं माना जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-4370/26-3-2001-3(28)/78, दिनांक-27.09.2001 में उल्लेख किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत् करने हेतु केवल 1359 फसली को ही आधार न माना जाय, अपितु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिये गांव के तथा आस पास के निर्विवादित परिवारों से स्थलीय पूछताछ/जॉच पडताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं की टी0सी0 एवं अन्य स्थानीय स्तर पर उलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का पूर्णरूप से परीक्षण आदि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार माना जायेगा।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भलीभांति जॉच एवं सम्बन्धित अभिलेख यथा 1359 फसली, निर्विवादित बेलदार परिवारों से स्थलीय पूछताछ/जॉच पडताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं की टी0सी0 इत्यादि के आधार पर तुरैहा जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

प0सं0-148/2016/3293(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0।

2- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in